

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

**Rule 118 : Declaration to be made under clause (c) of sub-section (11) of section 142**

Every person to whom the provision of clause (c) of sub-section (11) of section 142 applies, shall within <sup>1</sup>[the period specified in rule 117 or such further period as extended by the Commissioner], submit a declaration electronically in **FORM GST TRAN-1** furnishing the proportion of supply on which Value Added Tax or service tax has been paid before the appointed day but the supply is made after the appointed day, and the Input Tax Credit admissible thereon.

---

---

<sup>1</sup> Substituted for "a period of ninety days of the appointed day" by Noti. No. 36/2017-Central Tax, dt. 29-09-2017.s

**नियम 118 : धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के अधीन की जाने वाली घोषणा**

प्रत्येक व्यक्ति जिस पर धारा 142 की उपधारा (11) के खंड (ग) के उपबंध लागू है <sup>1</sup>[नियम 117 में विनिर्दिष्ट अवधि या ऐसी और अवधि, जो आयुक्त द्वारा विस्तारित की जाए] में प्ररूप जीएसटी ट्रान-1 में प्रदाय का अनुपात जिसको नियत दिन से पूर्व मूल्य वर्धित कर या सेवा कर संदत्त किया जा चुका लेकिन प्रदाय नियत तारीख के बाद किया है और उस पर अनुज्ञेय निवेश कर प्रतत्य की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 36/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.09.2017 द्वारा "नियत दिन के नब्बे दिन की अवधि" के स्थान प्रतिस्थापित।